न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

अनवान

1. रतनलाल पिता जगदीश जाति धोबी आयु 16 वर्ष नाबालिग बविलायत माता पार्वती पत्नि जगदीश जाति धोबी निवासी शिवलोक कॉलोनी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. कृष्णा पिता जगदीश जाति धोबी आयु 13 वर्ष नाबालिग बविलायत माता पार्वती पत्नि जगदीश जाति धोबी निवासी शिवलोक कॉलोनी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. विशाल पिता जगदीश जाति धोबी आयु 11 वर्ष नाबालिग बविलायत माता पार्वती पत्नि जगदीश जाति धोबी निवासी शिवलोक कॉलोनी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4. रमेश पिता मोहनलाल जाति धोबी आयु वयस्क निवासी शिवलोक कॉलोनी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

वादीगण

बनाम

1. जगदीश पिता मोहन जाति धोबी आयु वयस्क निवासी शिवलोक कॉलोनी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. रूकमण देवी पत्नि मोहन जाति धोबी आयु वयस्क निवासी शिवलोक कॉलोनी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. मदन पिता मोहन जाति धोबी आयु वयस्क निवासी शिवलोक कॉलोनी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4. राजेन्द्र पिता मांगीलाल जाति धोबी आयु वयस्क निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. रामचन्द्र पिता मांगीलाल जाति रेगर आयु वयस्क निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
7. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–	अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट	वादीगण
	अधिवक्ता श्री बीएल मेहता	प्रतिवादी संख्या 5
	एक तरफा	प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक
	पैरोकार सरकार	प्रतिवादी संख्या 6

–:: वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कराये जाने घोषणा बंटवाडा आराजीयात व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्री एवं पुत्र होकर प्रतिवादी संख्या 1 के उत्तराधिकारी है। पक्षकारान का सजरा वादपत्र मुताबिक है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं वादी 4 के मौजा चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैतृक कृषि आराजीयात खातेदारी में दर्ज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रिकार्ड है। आराजी संख्या 2186 रकबा 0.05 हैक्टर आराजी संख्या 2202 रकबा 0.04 हैक्टर आराजी संख्या 2204 रकबा 0.02 हैक्टर आराजी संख्या 2205 रकबा 0.25 हैक्टर आराजी संख्या 2206 रकबा 0.23 हैक्टर आराजी संख्या 2208 रकबा 0.11 हैक्टर आराजी संख्या 2209 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 0.73 हैक्टर। सम्पूर्ण विवादित आराजीयात वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पैतृक कृषि आराजीयात है जो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड चली आ रही थी जिसका प्रतिवादी संख्या एक व अन्य खातेदारान के मध्य विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है व उक्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की मौरूसी कृषि आराजीयात है वादीगण है वादीगण 1 से 3 प्रतिवादी संख्या 1 के नाबालिग पुत्र व पुत्री है। वादीगण संख्या 1 से 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज आराजीयात में जन्म से हक व हिस्सा निहित है उसी अनुसार वादीगण 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व वादी संख्या 4 विवादित आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिससे वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के हक व हिस्से में से 3/4 अर्थात कुलिया आराजीयात में 3/16 हक व हिस्से की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी होने से वादपत्र पेश है। सम्पूर्ण विवादित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पैतृक कृषि आराजीयात है जो वादीगण के दादा एवं पिता स्वर्गीय डालु जी के जीवन काल से चली आ रही है। स्वर्गीय डालु जी की मृत्यु के पश्चात् विवादित आराजीयात स्वर्गीय वादीगण 1 से 3 के दादा मोहन व मृतक डालीबाई के नाम पर दर्ज हुआ आगे जाकर डालीबाई की मृत्यु हो चुकी है व डालीबाई के वारिसान भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने विवादित आराजीयात बिना बंटवाडा कराये राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 4 को आराजी संख्या 2202 में से 2/4 का दिनांक 08.06.2011 को बहनामा निष्पादित करवा पंजीकृत करवा लिया जो वादीगण के हक व अधिकारों के मुकाबले में शून्य एवं निष्प्रभावी होकर वादी संख्या 1 से 3 विवादित आराजीयात में 3/16 हक व हिस्से की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी होने से वादपत्र वादीगण घोषणात्मक डिक्री पेश है। सम्पूर्ण विवादित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पैतृक कृषि आराजीयात होकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। फिर भी विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 4 को तथाकथित बहनामा दिनांक 08.06.2011 से हस्तान्तरित कर दी जिसके आड में प्रतिवादी संख्या 4 वादीगण को विवादित आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात में वादीगण अपना हक व हिस्सा घोषित करा उसी अनुसार बाई मिन्टस एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा कराने का अधिकारी होने से वादपत्र वादीगण बंटवाडा आराजीयात पेश है। सम्पूर्ण विवादित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पैतृक कृषि आराजीयात होकर वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। फिर भी विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 4 को तथाकथित बहनामा दिनांक 08.06.2011 से हस्तान्तरित कर दी जिसके आड में प्रतिवादी संख्या 4 वादीगण को विवादित आराजीयात को अपने नाम दर्ज करा वादीगण को विवादित आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कराया जाना आवश्यक हो जाने से वादपत्र वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पेश है। बिनाय मुखास्मात वाद कारण दिनांक 08.06. 2011 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 4 को तथाकथित बहनामें से हस्तान्तरण कर देने से तथा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा वादीगण के बने हुए मकानों से कब्जा हटाने की धमकी देने से वाद कारण पैदा होकर निरन्तर जारी है। जिससे वादपत्र वादीगण अंदर मयाद पेश है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादपत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी वादपत्र में वर्णित आराजीयात में वादीगण संख्या 1 से 3 का 3/16 वादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 16 हक व हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/4 1/4 की घोषणात्मक डिक्री पारित फरमाई जावें। पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 वादपत्र में वर्णित आराजीयात का बाई मिन्टस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कराया जाकर बंटवाडे की अंतिम डिक्री पारित फरमाई जावें। पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वह वादीगण के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे व न ही तथाकथित बहनामें की आड में विवादित आराजीयात का नामान्तरकरण अपने नाम पर स्वीकृत करावें एवं न ही वादीगण का विवादित आराजीयात से बेदखल ही करे न ही विवादित आराजीयात का रहन बहस बक्षीश व हस्तान्तररण ही करे न ही किसी अन्य से करावें।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। इस पर दिनांक 30.08.2011 को प्रतिवादी संख्या 5 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 30.08.2011 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 7 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। दिनांक 11.10.2011 को प्रतिवादी संख्या 4 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। दिनांक 23.11.2011 को प्रतिवादी संख्या 5 के बावजूद पर्याप्त समय दिये जाने के जवाबदावा पेश नहीं करने से जवाबदावा बंद किया गया। दिनांक 05.06.2012 को वादी को शहादत प्रस्तुत किये जाने का पर्याप्त समय दिये जाने के भी शहादत प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बंद किये जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 03.07.2012 को साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 5 रामचन्द्र पिता मांगीलाल जाति रेगर आयु वयस्क निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ का शपथ–पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली होकर DW-1 है। जिस पर अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 03.09.2012 को जिरह प्रतिवादी की गई। एवं अधिवक्ता प्रतिवादी के और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 13.09.2019 को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा बहस पत्रावली की गई।

बहस पत्रावली में विद्वान अधिवक्ता वादी ने वाद वर्णित तथ्यों का मौखिक रूप से दौहराया एवं वादी का वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता वादी का वाद लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस समाप्त की। इसके साथ विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में बताया की वादपत्र में वादी की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

और से किसी भी प्रकार से कोई शहादत प्रस्तुत नहीं की गई एवं वादीगण की शहादत पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् बंद की गई है ऐसी स्थिति में वादीगण की और से कोई भी साक्ष्य मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है अतः वादीगण का वादपत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें। इसके साथ ही निवेदन किया प्रतिवादी संख्या 5 का विवादित आराजीयात में हक व अधिकार जरिये रजिस्टर्ड बहनामा दिनांक 08.06.2011 से उत्पन्न हुये है ऐसी स्थिति में वादीगण बिना पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त कराये जाने किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सुनी गई बहस पत्रावली का मनन किया। पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात शपथ पत्रों का अवलोकन किया। चिंतन, मनन किया गया। वादीगण को वादपत्र को साबित कराये जाने हेतु शहादत प्रस्तुत किये जाने के पर्याप्त समय दिया गया किन्तु वादीगण की और से किसी भी प्रकार की शहादत प्रस्तुत नहीं की गई एवं न्यायालय आदेश दिनांक 05.06.2012 को वादी की शहादत बंद किये जाने के आदेश दिये गये है। इसके साथ ही पत्रावली के अवलोकन से भी जाहिर होता है कि वादीगण द्वारा न्यायालय आदेश दिनांक 05.06.2012 को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा उन्मोचित नहीं कराया गया है ऐसी स्थिति में न्यायालय आदेश दिनांक 05.06.2012 ही अंतिम आदेश है एवं पत्रावली पर वादीगण की किसी भी प्रकार से शहादत रिकार्ड पर नहीं है, एवं वादीगण द्वारा किसी भी दस्तावेजात को प्रद्र्शित नहीं कराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का वादीगण द्वारा अपने सशपथ शपथ–पत्रों से प्रद्र्शित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात पठनीय की श्रेणी नहीं आते है। दस्तावेज शामिल पत्रावली है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में सम्पूर्ण शहादत प्रस्तुत नहीं किया जाना जाहिर होता है। इसके साथ ही वाद पत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा हो जाने से पत्रावली पर वादपत्र का किसी भी प्रकार से खण्डन उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 5 का जवाबदावा बंद किया है। जबकि साक्ष्यप्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में प्रतिवादी संख्या 5 का शपथपत्र रिकार्ड पर है जो कि DW-1 है जिस पर अधिवक्त वादी द्वारा जिरह दिनांक 03.09.2012 रिकार्ड की गई है। उक्त शपथपत्र का भी किसी भी प्रकार से खण्डित नहीं होकर अखण्डित शपथ–पत्र ही है। वादीगण का विवादित आराजीयात में हक–अधिकार निहित होना केवल मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं होता है यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है ऐसी स्थिति वादीगण का वाद ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमणित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वादपत्र साक्ष्य सूबत के अभाव में खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण वादीगण अपना वादपत्र साक्ष्य दस्तावेज से प्रमाणित कराने असफल रहे है। अतः वादीगण का वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को साक्ष्य के अभाव में सारहीन होने से खारीज किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **01.10.2019** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

1. रतनलाल पिता जगदीश जाति धोबी आयु 16 वर्ष नाबालिग बविलायत माता पार्वती पत्नि जगदीश जाति धोबी निवासी शिवलोक कॉलोनी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. कृष्णा पिता जगदीश जाति धोबी आयु 13 वर्ष नाबालिग बविलायत माता पार्वती पत्नि जगदीश जाति धोबी निवासी शिवलोक कॉलोनी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. विशाल पिता जगदीश जाति धोबी आयु 11 वर्ष नाबालिग बविलायत माता पार्वती पत्नि जगदीश जाति धोबी निवासी शिवलोक कॉलोनी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4. रमेश पिता मोहनलाल जाति धोबी आयु वयस्क निवासी शिवलोक कॉलोनी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

वादीगण

बनाम

1. जगदीश पिता मोहन जाति धोबी आयु वयस्क निवासी शिवलोक कॉलोनी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. रूकमण देवी पत्नि मोहन जाति धोबी आयु वयस्क निवासी शिवलोक कॉलोनी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. मदन पिता मोहन जाति धोबी आयु वयस्क निवासी शिवलोक कॉलोनी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4. राजेन्द्र पिता मांगीलाल जाति धोबी आयु वयस्क निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. रामचन्द्र पिता मांगीलाल जाति रेगर आयु वयस्क निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
7. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

प्रतिवादीगण

–:: वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कराये जाने घोषणा बंटवाडा आराजीयात व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

प्रकरण संख्या :– 162/2011
(RCMS 2011/00253)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रूबरू **श्री छोगालाल जाट** अधिवक्ता वादी एवं **श्री बीएल मेहता** अधिवक्ता प्रतिवादी(संख्या5) मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वादपत्र अंतर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को साक्ष्य के अभाव में सारहीन होने से खारीज किया जाता है। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 01.10.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयत	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official